24/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली पर बहस आंशिक वादी सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी पेशी दिनांक 31.12.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
31-12-21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी उप०। प्रतिवादीगण बावजूद तामील नोटिस अनु०। तहसीलदार से प्राप्त कुरजात वादी प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तैयार होकर प्राप्त होने पर पुनः वादी अभिभाषक की बहस सुनी जाकर, पत्रावली वास्ते अन्तिम आदेशार्थ दिनांक 6-1-22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
6-1-22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। पत्रावली व तहसीलदार लवाण से प्राप्त कुरजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व कुरजात अनुसार वादी का वाद आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य है। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर, तहसीलदार लवाण से प्राप्त कुरजात अनुसार डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर एवं शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय अनुसार आंशिक डिक्री जारी हो। इस मद की तहरीर तहसीलदार लवाण को जारी हो। पत्रावली नतीजा शुमार होकर दाखिल रिकॉर्ड अन्दाज हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— कनक जैन (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :— 89/2021

1. कजोड पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।

(वादी)

बनाम

1. कन्हैया पुत्र गोविन्दा
2. कल्याण पुत्र गोविन्दा
3. जीता पुत्र रघुनाथ
4. बहादुर पुत्र कालूराम
5. विष्णु पुत्र कालूराम
6. संडूराम पुत्र कालूराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण जिला दौसा।
8. उप[illegible] लवाण जिला दौसा।

[illegible] बैंक शाखा लवाण जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

(प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :—1. सुरेश चन्द तिवाडी व राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता वादी।

:: निर्णय :: दिनांक : 06.01.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0 06 ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा के रहने वाले है। जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 39 की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1172/227 रकबा 1.73 है0, खसरा नम्बर 1174/806 रकबा 0.58 है0, खसरा नम्बर 1176/93 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी, लवाण (दौसा)

19 है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 790/1175 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 791 रकबा 0. 78 है0, खसरा नम्बर 799 रकबा 1.00 है0, खसरा नम्बर 800 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 801 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 840 रकबा 1.97 है0, खसरा नम्बर 841 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 842 रकबा 2.76 है0, खसरा नम्बर 92 रकबा 0.71 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 11.28 है0 वाके ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण में स्थित है। जिसमे वादी का हिस्सा 101/564 तथा प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 प्रत्येक का हिस्सा 233/1128, प्रतिवादी सं. 03 का हिस्सा 113/564, प्रतिवादी सं. 04, 05, 06 प्रत्यके का हिस्सा 13/188 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी है।

वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाते हए, उक्त वर्णित अनुसार वादी खसरा नम्बरान का तकास्मा वादी के हक में वाके ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण में स्थित खाता संख्या 39 (कुल खसरा 15 कुल रकबा 11.28 है0) का तकास्मी वादी के हक में वाके ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण की आराजी खसरा नम्बर 1175/227 रकबा 1.73 है0, खसरा नम्बर 1174/806 रकबा 0.58 है0 मे से 0.25 है0, खसरा नम्बर 1176/93 रकबा 0.19 है0 किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 01 लगा0 06 का हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड किया जाने तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाकर अलग–अलग पर्चा पासबुक जारी करने का निवेदन किया गया।

वादी के अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद को न्यायालय में पेश करने पर, प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण की तलवी की गई। बावजूद तलवी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री जारी की गई। कुर्रेजात हेतु तहसीलदार लवाण को पत्रांक कोर्ट/2021/1235 दिनांक 27.07.2021 तहरीर जारी की गइ। तहसीलदार लवाण के पत्र क्रमांक भू.अ./2021/1856 दिनांक 13.12.2021 द्वारा प्राप्त कुरेजात अनुसार ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा के खाता सं. 39 के कुल खसरा 13 रकबा 10.93 का वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में कब्जे काश्त व सरस–नरस के अनुसार हिस्सा खातेदारी वर्णित किया गया है। उक्त कुर्रेजात पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी, लवाण (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा कुरेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार लवाण से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार, मौके पर बावजूद नोटिस सह–खातेदार जीता पुत्र रघुनाथ, कन्हैया, कल्याण पि. गोविन्दा, विष्णु पुत्र कालूराम अनुपस्थित रहे, शेष खातेदारान की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार किये गये। ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण स्थित आराजी भूमि खाता सं. 39 की भूमि ख.न. 800 रकबा 0.04 है0 गै.मु. बाडा एवं भूमि ख.न. 801 रकबा 0.31 है0 गै.मु. आबादी वादी एवं प्रतिवादीगण की पूर्व की यथास्थिति में रखी जाकर, उक्त खाता सं. 39 की शेष खसरा नम्बरान की भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा निम्नानुसार अलग-अलग खाता कायम किया जावे।–

वादीयान:– कजोड पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के हिस्से में नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शित भूमि ख.न. [illegible]2/2[illegible]7 रकबा 1.73 है0, ख.न. 1176/93 रकबा 0.19 है0, कुल किता 02 रकबा 1.92 है0 का सम्पूर्ण राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लवाण।

प्रतिवादीगण:– कन्हैया पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के हिस्से में 222/885, कल्याण पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के हिस्से में 222/885, जीता पुत्र रघु0नाथ जाति मीणा के हिस्से में 72/295, बहादुर पुत्र कालूराम जाति मीणा के हिस्से में 75/885, विष्णु पुत्र कालूराम जाति मीणा के हिस्से में 75/885, संडूराम पुत्र कालूराम जाति मीणा के हिस्से में 75/855 नक्शे में रंगहीन दर्शित भूमि ख.न. 1174/806 रकबा 0.58 है0 में सें, ख.न. 339 रकबा 0.32 है0 में से, ख.न. 340 रकबा 0.35 है0 में से, ख.न. 790/1175 रकबा 0.38 है0 में से, ख.न. 791 रकबा 0.78 है0 में से, 799 रकबा 1.00 है0 में से, ख.न. 840 रकबा 1.97 है0 में से, ख.न. 842 रकबा 2.76 है0 में से, ख.न. 92 रकबा 0.71 है0 में से, कुल किता 09 कुल रकबा 8.85 है0 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा लवाण।

उक्त के अतिरिक्त ग्राम मान्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 790 रकबा 0.14 है0, ख.न. 841 रकबा 0.02 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.16 है0 में से कजोड पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के हिस्से में 1/4 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लवाण, कन्हैया पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के हिस्से में 3/16, कल्याण पुत्र गोविन्दा जाति मीणा के हिस्से में 3/16, जीता पुत्र रघु0नाथ जाति मीणा के हिस्से में 3/16, बहादुर पुत्र कालूराम जाति मीणा के हिस्से में 1/16, विष्णु पुत्र कालूराम जाति मीणा के हिस्से में

उपखण्ड अधिकारी, लवाण (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

7

प्र.स.:— 89/2021

निर्णय दिनांक :— 06.01.2022

1/16, संडूराम पुत्र कालूराम जाति मीणा के हिस्से में 1/16 भूमि नक्शे में नीले रंग से दर्शित शामलाती भूमि, राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा लवाण।

कुरेजात निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय डिक्री की पालना किये जाने में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार राहिन दर्ज की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

कनक जैन (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

लवाण

उपखण्ड अधिकारी लवाण (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested

7

उनवान

कजोड पुत्र गोविन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम माण्डेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।

(वादी)

बनाम

1. कन्हैया पुत्र गोविन्द
2. कल्याण पुत्र [illegible]
3. जी[illegible] पुत्र [illegible]
4. बहादुर पुत्र [illegible]
5. विष्णु पुत्र कल्याणराम
6. सेडूराम पुत्र कजोड़ूराम
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
8. उप पंजीयक दौसा जिला दौसा।
9. सिण्डीकेट बैंक शाखा लवाण जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

(प्रतिवादी)

उपखण्ड अधिकारी, लवाण (दौसा)

कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:07:56 IST
Reason: SelfAttested